न्यायालय विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़।
वाद संख्या–538/12/2019

किशन स्वरूप बनाम जफरूद्दीन
अपराध संख्या–86/2018
धारा 135 विद्युत अधिनियम
थाना सिविल लाइन, जिला अलीगढ।

19.08.2020

आज पत्रावली पेश हुई। परिवादी की ओर से विभागीय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अभियुक्त के द्वारा दौरान विवेचना शमनशुल्क व राजस्व निर्धारण जमा कर दिया गया है। विभागीय विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आदेशपत्रक के हाशिये पर यह पृष्ठांकन किया गया है कि अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। विद्युत विभाग की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। इस प्रकार अन्तिम आख्या विधि अनुसार योजित की गई है। अतः अन्तिम आख्या स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 19–08–2020

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), अलीगढ़।